

न्यायालय सिविल जज जू०डिं०/त्वरित न्यायालय—प्रथम, कौशाम्बी।

उपस्थितः—सबा फातिमा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद सं० 98/1998

1. श्री मुन्नूलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री जग्गूलाल
2. श्रीमती नत्थीदेवी उम्र 35 साल पत्नी श्री मुन्नूलाल
साकिनान ग्राम सिरियावां कला परगना व तहसील चायल जिला
इलाहाबाद (वर्तमान कौशाम्बी) वादीगण।

बनाम

रियासत अली उम्र तकरीबन 24 साल पुत्र लियाकत अली निवासी
ग्राम सिरियावां कला परगना व तहसील चायल, जिला कौशाम्बी
.....प्रतिवादीगण।

:- निर्णय :-

1. वादीगण ने यह दावा प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया है।
2. संक्षेप में वादीगण का कथन इस प्रकार है कि वादीगण का मकान ग्राम सिरियावाकला परगना व तहसील चायल जिला कौशाम्बी/इलाहाबाद में वाके है, जो अक्षर क,ख,ग,घ,प,फ,ब,भ,र से दिखाया गया है जिसके वादीगण श्री सुबई के मरने के बाद मालिक काबिज व दखील चले आते है। जिसके पश्चिम वादी का सेहन दरवाजा है और सेहन दरवाजा के उत्तर एक कमरा है जिसमें दो दरवाजे एक जानिब उत्तर एक जानिब दक्षिण कायम चले आते है। इस कमरे के उत्तरी दरवाजे के बाहर वादीगण के खाद का गडडा और उपली बगैरह पाथने व इकट्ठा करते है। अक्षर ग,घ के उत्तर वादीगण का एक नीम का पेड़ पुराना कायम चला आता है इसी तरफ सेहन दरवाजा में एक नीम का पेड़ पुराना कायम चला आता है। श्री सुबई वादी नं० 2 के पिता थे और उनके मरने के बाद वादिनी सं० 2 उनकी आराजियात और मकान व सेहन व खेत की मालिक, काबिज चली आयी। वादी नं० 1 ने पुराने मकान कच्चे को तोड़कर नया पुख्ता मकान तामीर कराया। वादीगण व श्री सुबई 40–50 साल हो गए उनकी मिलकियत सेहन दरवाजा पर बगैर किसी रुकावट के मालिकाना काबिज व दखील हुए। प्रतिवादी के सेहन निजाई व मकान व नीम के पेड़ों व खाद के गडडा

(सबा फातिमा)
सिविल जज जू०डिं०/त्वरित न्यायालय—प्रथम,
कौशाम्बी।

व उपली पाथने की जगह से न कोई सरोकार वास्ता है, और न काबिज दखील है और न वह उसका मालिक है। प्रतिवादी व उसके घर वालों ने वादीगण के सेहन के उत्तर दक्षिण कायम थे उनको जबरन उखाड़ लिया और सेहन निजाई पर जो नवशा नजरी में सुर्ख रंग से दिखाया गया है, कब्जा करने व सदर दरवाजा जो अक्षर ज से दिखाया गया है, को बंद करने की धमकी दिया तो गांव के लोगों के मना करने पर सेहन निजाई पर कब्जा करना रोक दिया लेकिन मकान बनाने की धमकी बराबर देते रहते हैं। सेहन निजाई 85 फिट लम्बा व 53 फिट चौड़ा है, जो सुर्ख रंग से नवशा नालिश में दिखाया गया है। सेहन निजाई के अलावा और कोई रास्ता मकान में जाने व रास्ते आम तक पहुंचने का और कोई जरिया नहीं है। वादीगण को अब इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया है कि वह अदालत द्वारा वादीगण के टेरेस्पास करने को हुकुम इन्स्टेनाई द्वारा प्रतिवादी को रुकवा देवे। विनाय मुखासिमत नालिश हाजा दिनांक 02.02.98 जब प्रतिवादी ने सेहन से लगे हुए कमरे के दरवाजे उखाड़े और सेहन पर कब्जा करने व सदर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, अन्दर हृदूद इलाका अदालत हाजा पैदा हुई और अदालत हाजा को अस्तियार समात नालिश हाजा का हासिल है।

वादीगण द्वारा याचना की गयी कि जरिए हुकुम इन्स्टेनाई दवासी प्रतिवादी व उसके सहयोगियों व मददगारों व घर वालों को मना कर दिया जावे कि वे वादीगण के सेहन दरवाजा जो कि संलग्न नवशा नालिश हाजा में बरंग सुर्ख से दिखाया गया है, वादीगण के कब्जे में मदालखत करने व नीम के पेड़ को नुकसान पहुंचाने व सदर दरवाजा अक्षर “ज” बंद करने से रोक दिया जावे।

3. प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र कागज संख्या 42क दाखिल कर वादीगण के वादपत्र का खण्डन किया और अपने विशेष कथनों में यह अभिकथित किया है कि सुर्ख का मकान पहले कच्चा बना था और उसका सेहन दरवाजा पूरब की ओर था। प्रतिवादी सं0 1 मुन्नूलाल जो कि पिण्डरा सहावनपुर का रहने वाला है और सुर्ख का दामाद है तथा पुलिस विभाग में सिपाही पद पर तैनात है जब अपने ससुराल सिरियावाकला में आकर रहने लगा तो पुराने कच्चे मकान को गिरवाकर पक्का मकान बनवाया तथा तीन दरवाजे जानिब दक्षिण आम रास्ते की ओर किया।

(सबा फातिमा)
सिविल जज जूँड़ी/त्वरित न्यायालय-प्रथम,
कौशास्त्री।

लगभग दो वर्ष पूर्व रात में चोरी चोरी पश्चिम जानिब आपत्तिकर्ता प्रतिवादी के खेत में दीवाल तोड़कर पश्चिम की ओर से आने जाने लगा तथा एक वर्ष पूर्व उसमें लोहे का फाटक लगवा लिया बाहर कोई कमरा नहीं है न कोई नीम का पेड़ है एक छोटा सा तालाबनुमा गहरा गडडा है जो कि गांव वालों के प्रयोग में आता है। वादी के मकान के पश्चिम जो दरवाजा चोरी से कर लिया गया है उसके सामने की जमीन जिसे वादपत्र में सेहन कहा गया है प्रतिवादी का खेत है तथा प्रतिवादी के खेत एवं तथा कथित सेहन के उत्तर कोई कमरा नहीं है तो दरवाजे का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं गयी सेहन निजाई प्रतिवादी की भूमिधरी आराजी नं० 294 मि० रकबा 2 बीघा का जुज भाग है। जो आम रास्ते के उत्तर है तथा शेष भूमि जानिब दक्षिण है और प्रतिवादी अपनी भूमिधरी आराजी पर विधिवत काबिज व दखील है। वादी द्वारा चोरी से दरवाजा किये जाने की शिकायत आपत्तिकर्ता प्रतिवादी ने आला प्रशासनिक अधिकारियों से किया परन्तु वादीगण ने न्यायालय के आदेश की बात कहकर अधिकारियों को दरवाजा बंद करने से रोक दिया। वादी सं० 1 जो कि पुलिस विभाग में काठ पद पर है तथा शस्त्रधारक भी है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एवं आपत्तिकर्ता प्रतिवादी को बराबर धमकी देकर मुंह बंद करने का प्रयास अब तक करता चला आ रहा है। वादीगण ने अपने मकान के मूल दरवाजों को जान बूझकर बंद कर दिया जिसके चिन्ह आज भी दीवाल पर दक्षिण की तरफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। गाटा संख्या 294 मि० रकबा 2 बीघा आपत्तिकर्ता प्रतिवादी की भूमिधरी आराजी है जो कि वादपत्र में वादी द्वारा दाखिल किये गये नक्शा नजरी में दिखाये गये आम रास्ता के उत्तर व दक्षिण स्थित है। प्रतिवादी अपनी भूमिधरी आराजी पर आज तक बराबर काबिज व दखील है और उसका नाम राजस्व अभिलेख में बराबर अंकित चला आ रहा है। वादी सं० 1 मुन्नूलाल पुलिस विभाग में सिपाही होने के कारण सरकश किस्म का व्यक्ति है और अपनी इसी सरकशी के बल पर आपत्तिकर्ता/प्रतिवादी की सड़क के किनारे एवं वादी के मकान से मिली हुई भूमि को हड्पना चाहता है। वादीगण द्वारा कथित सेहन में नीम का पेड़ दिखाया गया है मौके पर कोई पेड़ नहीं है और न ही उसके उत्तर कोई कमरा है न दरवाजा है और न ही कथित कमरे के उत्तर कोई नीम का पेड़ है तथा न ही कोई खाद का गडडा है मौके पर तालाबनुमा काफी गहरा एक गडडा है जो पानी से

(सबा फातिमा)
सिविल जज जू०डिं०/त्वरित न्यायालय-प्रथम,
कौशास्त्री।

भरा हुआ है और गांव वाले उस पानी का आम प्रयोग करते हैं तथा पानी सूख जाने पर मिटटी निकालकर प्रयोग में लाते हैं वादीगण का यह कथन बिल्कुल असत्य है कि वादीगण खाद के गड्ढे के स्थान पर उपली आदि पाथते हैं गलत है। वादपत्र के साथ संलग्न नकशा नजरी में दर्शाये गये सेहन, जो कि वास्तव में प्रतिवादी की भूमिधरी आराजी है के पश्चिम अनवार खां की भूमि है, पूरब में वादीगण का मकान है उत्तर में गड़दानुमा तालाब जो आम प्रयोग में आता है तथा पश्चिम आम रास्ता है उसके दक्षिण प्रतिवादी की शेष भूमि है। वादीगण के मकान के उत्तर भैरो व अशर्फीलाल के मकान हैं जिनके दरवाजे जानिब पश्चिम हैं जो कि तालाब की तरफ खुलते हैं। वादीगण द्वारा जो भूमि मकान के सेहन के रूप में 85 फिट व 53 फिट लंबाई, चौड़ाई में दिखायी गयी है उससे वादीगण से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही वादीगण के मकान का दरवाजा जानिब पश्चिम खुलने का कानूनी औचित्य है और न ही प्रतिवादी आपत्तिकर्ता के भूमि से होकर आने जाने का औचित्य वादीगण को प्राप्त है। वादीगण अपने मकान में स्थित जानिब दक्षिण दरवाजों को पुनः खोलकर आने जाने की व्यवस्था स्वतः करें। वादीगण द्वारा दायर वाद झूठा तथ्यविहीन, मनगढ़न्त तथा प्रतिवादी की सड़क के किनारे की कीमती भूमि को मात्र हड्डपने की गरज से दायर किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4. उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त एवं उनके द्वारा दाखिल प्रतिपादनाओं के आधार पर दिनांक 09.03.2010 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये—

1. क्या वादपत्र के साथ संलग्न नकशा नजरी में अक्षर क, ख, ग, घ मकान के साथ प्रदर्शित सेहन भूमि बरंग सुर्ख लाल का वादी मालिक काबिज दखील है?
2. क्या वाद का मूल्याकन कम किया गया है तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
4. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० से बाधित है?
5. क्या विवादित सम्पत्ति नक्शे में सही दिखायी गयी है?
6. क्या वादी किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

5. वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में फेहरिस्त सूची 8ग के माध्यम से बतौर दस्तावेजी साक्ष्य एक किता असल रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांकित 25.05.1987, एक किता नकल चकबंदी आकार पत्र 41 व नकल चकबंदी आकार पत्र 45 व नकल नक्शा दाखिल किया गया है।

वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में सूची कागज संख्या 50क दाखिल किया गया। वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू-1 के रूप में मुन्नूलाल का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 49क, पी0डब्लू-2 शिवबालक का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 51क, पी0डब्ल्यू-3 झब्बू का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 67क दाखिल किया गया तथा साक्षी पी0डब्लू-1 मुन्नूलाल, साक्षी पी0डब्लू-2 शिवबालक व पी0डब्ल्यू-3 झब्बू से प्रतिपरीक्षा प्रतिवादी द्वारा की गयी है।

6. प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 81ग से खतौनी, व खसरा की प्रतियां दाखिल की गयी हैं।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी0डब्लू-1 रियासत अली का साक्ष्य शपथपत्र 73क, डी0डब्ल्यू-2 रफीकउल्ला का साक्ष्य शपथपत्र 76क व डी0डब्ल्यू-3 रहीमउल्ला का साक्ष्य शपथपत्र 78ग दाखिल किया गया तथा साक्षी डी0डब्लू-1, साक्षी डी0डब्ल्यू-2 व साक्षी डी0डब्ल्यू-3 से वादीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है।

7. पत्रावली पर अधिवक्ता आयुक्त की आख्या कागज संख्या 39ग दाखिल है।

8. पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

:- निष्कर्ष:-

9. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1 व 5-

वाद बिन्दु संख्या 1 व 5 एक ही प्रकृति के हैं अतः इनका निस्तारण एक साथ करना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

10. वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर क,ख,ग,घ मकान के साथ प्रदर्शित सेहन भूमि बरंग सुर्ख लाल का वादी मालिक काबिज दखील है?

(सबा फातिमा)
सिविल जज जू0डिं/त्वरित न्यायालय-प्रथम,
कौशाम्बी।

11. वाद बिन्दु संख्या 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विवादित सम्पत्ति नक्शे में सही दिखायी गयी है? उक्त दोनों वाद बिन्दुओं को साबित करने का भार वादीगण पर है।

12. वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया है कि वादीगण का मकान ग्राम सिरियावा कला परगना व तहसील चायल, जिला कौशाम्बी, इलाहाबाद में स्थित है व वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ नक्शा नजरी संलग्न किया गया है जिसमें अपने मकान को वादी द्वारा वाद के साथ संलग्न नक्शा नजरी में क, ख, ग, घ, प, फ, ब, म, र से दिखाया गया है जिसके पश्चिम में वादी का सेहन दरवाजा व सेहन दरवाजे के उत्तर में एक कमरा होना दर्शित किया गया है। जिसमें दो दरवाजे हैं एक उत्तर व एक दक्षिण जानिब है व एक पुराना नीम का पेड़ सेहन दरवाजा में कायम चला आ रहा है। वादी द्वारा वादपत्र में यह भी कथन किया गया है कि प्रतिवादी ने सेहन में बने हुए कमरे के दरवाजे उखाड़े और सेहन पर कब्जा करने व सदर दरवाजा बंद करने की कोशिश व नीम के पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

13. मौके की वास्तविक स्थिति जानने हेतु अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से कमिशन कराया गया। दिनांक 27.08.2022 को कमिशन आख्या साक्षाधीन सम्पुष्ट किया गया है।

14. वादी द्वारा विवादित सम्पत्ति जरिये वसीयतनामा बताया गया है। वसीयतनामा कागज संख्या 8ग पत्रावली में संलग्न है, जिसमें विवादित सम्पत्ति का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है, न ही चौहददी दर्शायी गयी है वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में विवादित सेहन भूमि पश्चिम की तरफ दर्शायी गयी है और उसके बाद कुछ भी नहीं दर्शाया गया है। जबकि अमीन की ओर से प्राप्त आख्या में प्रदर्शित नक्शे पर वादी के भवन के पश्चिम की ओर कच्चा रास्ता दर्शाया गया है इससे यह विश्वसनीय नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने मकान का निकास उस तरफ बनाये, जिस तरफ कोई रास्ता न हो।

15. यहां यह भी स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि स्वीकृत रूप से वादी के नक्शा में दक्षिण रास्ता आम है किन्तु वादी द्वारा दक्षिण की तरफ कोई निकास दर्शित नहीं किया गया है। इससे यह विश्वसनीय नहीं है कि वादी द्वारा निकास आम रास्ते की तरफ न बनाकर उस तरफ बनाया गया है

(सबा फातिमा)
सिविल जज जूँड़ी/त्वरित न्यायालय-प्रथम,
कौशाम्बी।

जिस तरफ कोई रास्ता नहीं है जैसा कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित है।

16. वादीगण द्वारा बतौर पी0डब्ल्यू-1 मुन्नूलाल जो स्वयं वादी मुकदमा संख्या 1 है को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा अपनी सुख्य परीक्षा में वादपत्र का समर्थन किया है व अपने जिरह में कथन किया है कि “यह मकान मुझे कच्चा मिला था। मैंने इसे पक्का मकान बनवाया रियासत अली का खेत मेरे मकान से दक्षिण है। मेरे मकान के पूरब सेहन दरवाजा है। मेरे मकान के पश्चिम सेहन दरवाजा है।” यहां वादी द्वारा दोनों दिशाओं में सेहन दरवाजा बताया गया है, जो कि भ्रमात्मक है जबकि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी एवं अभिकथन की आख्या अनुसार पश्चिम दिशा में सेहन बताया गया था तथा पूरब की तरफ कल्लू असरफुल का मकान दर्शाया गया है इस प्रकार यह संभव नहीं है कि किसी के मकान में वादी का सेहन हो। वादी द्वारा विवादित भूमि 85 फिट लम्बा व 58 फिट चौड़ी दर्शायी गयी है परन्तु वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के पश्चिम में क्या है दर्शाया नहीं गया है। जिस कारण वादपत्र का नक्शा पूर्ण नहीं है अस्पष्ट व भ्रामक है।

17. इसके उपरान्त वादीगण की ओर से बतौर साक्षी पी0डब्ल्यू-2 शिवबालक ने अपनी जिरह के दौरान कथन किया कि ‘‘सुबई के मकान के दो दरवाजे थे असल दरवाजा पश्चिम की तरफ था तथा दूसरा दरवाजा किसी तरफ नहीं था। मुन्नूलाल के मकान के दक्षिण कोई दरवाजा नहीं था।’’ यहां उक्त साक्षी द्वारा प्रथमतः दो दरवाजा होना स्वीकृत किया गया है किन्तु दूसरे दरवाजे की दिशा नहीं बतायी गयी है जो कि साक्षी के कथनों में विरोधाभाष उत्पन्न करता है। उक्त साक्षी द्वारा अपने जिरह में यह भी कथन किया गया कि ‘‘मुन्नूलाल के मकान के दक्षिण खड़न्जा है। खड़न्जे के दक्षिण रियासत अली का खेत है। खेत पट्टे का है व इस पट्टे का और हिस्सा सड़क के उत्तर है।’’ यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि वादी मुन्नूलाल द्वारा अपनी जिरह में पृष्ठ संख्या 1 में कथन किया गया है कि रियासत अली का खेत मेरे मकान के दक्षिण है व अमीन आख्या के साथ संलग्न नक्शा नजरी में भी रियासत अली का खेत पश्चिम व दक्षिण में दिखायी गयी है। अतः साक्षी पी0डब्ल्यू-2 ने वादी के कथनों को बल नहीं दिया है।

(सबा फातिमा)
सिविल जज जू0डिं/त्वरित न्यायालय-प्रथम,
कौशास्बी।

18. साक्षी पी0डब्ल्यू-3 झब्बू द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया कि “सुबई और मुन्नूलाल के दो मकान हैं सबई का मकान मुन्नूलाल के मकान से जुटा हुआ था। सबई के मकान में बच्चे खाना बनाते थे व मुन्नूलाल के मकान में उनके बच्चे रहते हैं” अतः इस साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि दो मकान हैं दूसरा मकान मुन्नूलाल द्वारा कहा से खरीदा व हक प्राप्त किया स्पष्ट नहीं है। वादी द्वारा नक्शा वादपत्र में भी दो मकान प्रदर्शित नहीं किये गये हैं। साक्षी द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किया गया “इस समय उसमें गेहू की फसल है रियासत की गेहू की फसल है रियासतअली (प्रतिवादी) फिर गेहू माडकर फसल बराबर होते रहते हैं। यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि उक्त साक्षी ने वादी के कथनों का बल नहीं दिया है व उक्त भूमि में रियासत अली के गेहू का खेत होना बताया है।

19. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि जिसे वादी ने अपना सेहन बताया है उसकी पूर्ण चौहददी वर्णित नहीं की है जिस मकान का सेहन है उस मकान की कोई नाप वर्णित नहीं की है सेहन भूमि के बावत विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मूल सम्पत्ति से अद्याक बड़ा सेहन/संलग्नक भूमि नहीं हो सकती। सेहन का स्वामित्व जरिये वसीयत प्राप्त नहीं किया जा सकता। वादी के मकान के दक्षिण रास्ते पर उसका निकास न होने एवं दो दिशाओं में स्वयं का सेहन बताने के दृष्टिगत वादी के अभिकथन विश्वसनीय नहीं है। परीक्षित साक्षीगण ने भी वादी के अभिकथित सेहन की स्पष्ट चौहददी और माप के बावत वादी के कथनों का समर्थन नहीं किया है बल्कि कुछ हद तक प्रतिवादी के कथनों को वादीगण के साक्षी द्वारा बल दिया गया है। अतः वादीगण को विवादित सम्पत्ति का मालिक काबिज व दखील बताने में सफल नहीं रहे हैं। वाद बिन्दु संख्या 1 नकारात्मक रूप से निस्तारित की जाती है।

20. इसी क्रम उपरोक्त विवेचना से यह भी स्पष्ट है कि अभिकथित विवादित सम्पत्ति का स्पष्ट व सही नक्शा नहीं दर्शाया गया है। अतः प्रस्तुत वाद बिन्दु संख्या 5 नकारात्मक रूप से वादीगण के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

21. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2 व 3-

वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 का निस्तारण पूर्व पीठासीन अधिकारी

(सबा फातिमा)
सिविल जज जू0डिओ/त्वरित न्यायालय-प्रथम,
कौशास्मी।

महोदय द्वारा दिनांक 29.04.2010 को किया जा चुका है जो निर्णय का भाग रहेगा।

22. वाद बिन्दु संख्या 4— वाद बिन्दु संख्या 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 से बाधित है?

23. उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद बिन्दु पर कोई विशेष बल नहीं दिया गया है न ही कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादपत्र की धारा 14 में कथन किया गया है कि कोर्ट फीस कम दी गयी है। कोर्ट फीस का पूर्व में निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

24. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 6— वाद बिन्दु संख्या 6 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

25. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने अन्य किसी अनुतोष पर बल नहीं दिया था। मुख्य रूप से उनके अधिवक्ता द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा पर ही बल दिया था और बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1 के निस्तारण में यह बल पाया गया है कि वादीगण द्वारा मुख्य अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण पाने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा समग्र विश्लेषण पश्चात अन्य अनुतोष देने के क्रम में यह पाया जाता है कि वादीगण किसी अन्य अनुतोष को भी पाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि वादीगण अपने मुख्य अनुतोष को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं।

26. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विश्लेषण पश्चात तथा वाद बिन्दु संख्या 1 ता 6 के दिये गये निष्कर्षों के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण अपने किसी भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से किसी भी अनुतोष को पाने के अधिकारी नहीं पाये गये हैं। अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है।

:-आदेश:-

27. वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी उपरोक्त विवेचनानुसार निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक—08.09.2022

(सबा फातिमा)
सिविल जज जू0डी0/
त्वरित न्यायालय—प्रथम,
कौशाम्बी।
आई0डी0नंबर—3431

28. आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक—08.09.2022

(सबा फातिमा)
सिविल जज जू0डी0/
त्वरित न्यायालय—प्रथम,
कौशाम्बी।
आई0डी0नंबर—3431